( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 34 / 2024**

**रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024 / 183**

**बउनवान**

1. हीरालाल आयु 65वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज हाल निवासी कूकरतालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. बाबूलाल आयु 70वर्ष पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज हाल निवासी कूकरतालाब तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

**(अपीलांटगण)**

**बनाम**

1. रोहित पुत्र मुकुटबिहारी मीणा निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज.)

**(रेस्पोडेन्टगण)**

**अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के द्वारा प्रकरण संख्या 2022 / 05 बउनवान रोहित मीणा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक | | (अपीलांटगण) |
| 2– अनुपस्थित | | (रेस्पो. क्रम 1) |
| 3– पेरोकार सरकार | | (रेस्पो. क्रम 2) |

**निर्णय दिनांक 23.01.2025**

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा प्रकरण संख्या 2022 / 05 बउनवान रोहित मीणा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 19.11.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 01 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। रेस्पो. क्रम 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 पर बहस सुनी गई ओर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण मे अपीलांटगण के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:21 IST
Reason: SelfAttested

**अपीलांटगण के** अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. क्रम 01 द्वारा दिनांक 29.03.2022 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम उम्मेदगंज तहसील अटरू के कृषि आराजी खसरा नं. 406 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं. 412 / 655 रकबा 0.22 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 1.15 हेक्टर में स्थित पूर्ण भूमि स्थित है जो वसीयतकर्ता रामकल्याण पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज के खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि नोटेरी तस्दीक वसीयत दिनांक 05.03.2021 को निष्पादित कर रेस्पो. क्रम 01 के पक्ष में समस्त अधिकारों की घोषणा कर वसीयत निष्पादित करवा दी गई थी। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. क्रम 01 के पक्ष में नामांतरकरण तस्दीक फरमा दिया है जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट, रामकल्याण व रामसिंह सगे भाई है। रामकल्याण व रामसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। रामकल्याण लाऔलाद फौत हुआ है। पक्षकारान का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

श्रीकिशन

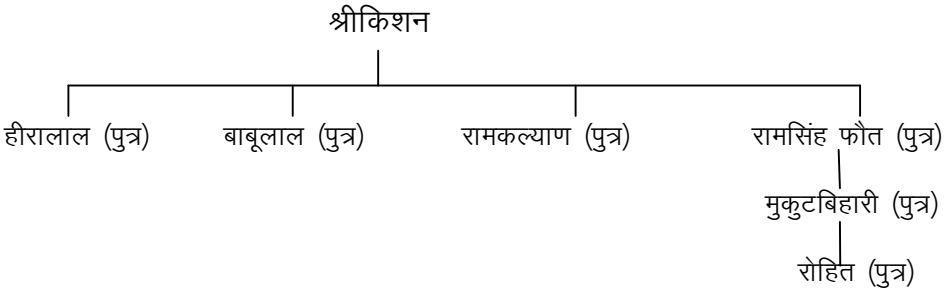

हीरालाल (पुत्र) | बाबूलाल (पुत्र) | रामकल्याण (पुत्र) | रामसिंह फौत (पुत्र)

- रामसिंह फौत (पुत्र)
  - मुकुटबिहारी (पुत्र)
    - रोहित (पुत्र)

विवादित आराजियात विरासतन श्रीकिशन जी से चारों भाईयों हीरालाल, बाबूलाल, रामकल्याण व रामसिंह को प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात पुश्तैनी है जिसके बाबत् किसी भी प्रकार दान/वसीयत/विक्रय किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

मृतक रामकल्याण द्वारा वसीयत दिनांकित 05.03.2021 रेस्पो. क्रम 01 के पक्ष में जो करवाई है, वह अवैध एवं बनावटी है। साथ हीं उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड है जिसे प्रोबेट करवाये बिना रामकल्याण के हिस्से की आराजी को रेस्पो. क्रम 01 के पक्ष में इंतकाल खोलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना अवैधानिक व गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है। उक्त वसीयत के आधार पर खोला गया इंतकाल नंबर 366 दिनांक 06.08.2024 निरस्तनीय है। अपीलांटगण, मृतक रामकल्याण व रामसिंह के सगे भाई है जिन्हें सुने बगैर वसीयत के आधार पर खोला गया इंतकाल निरस्त योग्य है।

यह कि मृतक रामकल्याण मीणा कभी भी रेस्पो. क्रम 01 के पास नहीं रहा है। मृतक रामकल्याण मीणा अपीलांटगण के पास ग्राम कूकरतालाब तहसील अटरू में रहा है तथा अपीलांटगण ने उनकी सेवा–सुश्रुषा की है तथा मृतक रामकल्याण की मृत्यु भी अपीलांटगण के साथ रहते हुये ग्राम कूकरतालाब तहसील अटरू में हुई है। उक्त रामकल्याण के हिस्से की आराजी को अपीलांटगण मृतक रामकल्याण के जीवनकाल से मौके काश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. क्रम 01 के पक्ष में मृतक रामकल्याण द्वारा वसीयत किया जाना संभव नहीं है। रेस्पो. क्रम 01 ने उक्त रामकल्याण के हिस्से की आराजी को हड़पने के लिये फर्जी एवं बनावटी वसीयत अनरजिस्टर्ड तैयार करवाई है जो गलत एवं अवैधानिक है।

यह कि निर्णय दिनांक 18.08.2023 की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.08.2024 को अपीलांटगण को बताने पर हुई। इसके बाद अपीलांटगण ने नकल हेतु आवेदन दिनांक 30.08.2024 को पेश कर दिनांक 04.09.2024 को नकल इंतकाल प्राप्त किया। उसके बाद अपीलांटगण अपनी वृद्धावस्था के कारण बीमार हो गये तथा चलने–फिरने की स्थिति में नहीं रहे। स्वस्थ होने पर अभिभाषक से संपर्क कर यह अपील प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए है। दिनांक 18.08.2023 से दिनांक 08.11.2024 तक का समय जानकारी अभाव में कंडोन करने के बाद अपील अंदर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.08.2023 प्रकरण संख्या 05/2022 न्यायालय तहसीलदार, अटरू बउनवान रोहित बनाम राजस्थान सरकार निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

**प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की** बहस सुनी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात विरासतन श्रीकिशन जी से चारों भाईयों हीरालाल, बाबूलाल, रामकल्याण व रामसिंह को प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात पुश्तैनी है जिसके बाबत् किसी भी प्रकार दान/वसीयत/विक्रय किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। किन्तु अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे उक्त भूमि पुस्तैनी होने के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये।

इस पर प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमे संलग्न वसीयत मे वसीयतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि मेरी स्वअर्जित सम्पत्ति कृषि आराजी वाके ग्राम एवं माल उम्मेदगंज तहसील अटरू मे खाता संख्या 91 की खसरा नम्बर 139 रकबा 0.09 है0, ख0 नं0 141 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 404 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 405 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 406/654 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 407 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 410 रकबा 0.90 है0, ख0नं0 411 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 413 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 414 रकबा 0.90 है0, किता 11 रकबा 6.14 है0 आराजी मेरे शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे मेरा हिस्सा 1/10 दर्ज है तथा माल उम्मेदगंज की खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 406 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 409 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 412/655 रकबा 0.22 है0, किता 3 रकबा 1.15 है0 आराजी मेरे खाते दर्ज है। जिसको मैं कब्जा काश्त करता चला आ रहा हूॅ। उक्त वर्णित आराजी आज से पूर्व कही रहन बेचान अथवा दान बन्धक नही है। उक्त आराजी को मुझे रहन, बेचान तथा वसीयत करने का पूर्ण अधिकारन प्राप्त है। मेरे कोई सन्तान नही है।

वसीयत मे अंकित स्वअर्जित भूमि के संबंध मे कथनों की पुष्टि ग्राम उम्मेदगंज की जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 खाता संख्या नया 76 एवं पुराना 98 से होती है। जिसमे अंकित भूमि ख0नं0 406 क्षेत्रफल 0.4800, ख0नं0 409 क्षेत्रफल 0.4500, ख0नं0 412/655 क्षेत्रफल 0.2200 कुल किता 3 रकबा 1.15 है. हिस्सा सम्पूर्ण खाते का नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 20.12.2012 से राजू, सुरेश, रिंकू, पुत्रांन कजोड, गायत्री, सुशीला पुत्रिया कजोड, कमलाबाई बेवा कजोड जाति नाई सा.देह खातेदार द्वारा सम्पूर्ण आराजी बेचान करने से वसीयतकर्ता रामकल्याण पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा सा.देह मे नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है। इस प्रकार वसीयतकर्ता द्वारा जिस भूमि की वसीयत की गई है वह स्वअर्जित होना साबित होता है। जिसकी वसीयत करने का वसीयतकर्ता को अधिकार प्राप्त है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे भी उक्त कथन अंकित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 2022/05 बउनवान रोहित मीणा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 मे उक्त स्वअर्जित भूमि का ही नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी राहित पुत्र मुकुटबिहारी मीणा निवासी उम्मेदगंज प.मं. अन्ताना तहसील अटरू जिला बारॉ के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है, जो सही प्रतीत होते है।

**परिणामस्वरूप** अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **23.01.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:21 IST
Reason: SelfAttested